24/3/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उपखण्ड अधि. अपील अपीलांट स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया जाकर पत्र जारी हो नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया जाकर

GCMS
2013/00023

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 203/2013 GCMS:- 2013/00023 दायर दिनांक : 16.08.2013

अनवान :

1. हन्सासिंह उर्फ हन्सराज पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ हाल 2 एम.जे.एम. मोहनगढ़ जिला जैसलमेर (राज.)
2. बन्तो उर्फ हरबंस कौर पुत्री अमरसिंह पत्नी फौजासिंह जाति रायसिख निवासी नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

—अपीलांट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत, बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, बीरमाना
2. हरबंससिंह पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी 2 जी.बी.एम. बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. गुरदेवसिंह पुत्र बूटासिंह जाति रायसिख निवासी पनीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (कथित गुरदेवसिंह पुत्र इन्द्रोबाई बनकर इन्तकाल करवाया गया)
4. मिन्दो पत्नी हरबंससिंह जाति रायसिख निवासी पनीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (कथित अजोबाई पुत्री इन्द्रोबाई बनकर इन्तकाल करवाया)

—रेस्पोण्डेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

निर्णय

दिनांक : 25.03.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:11 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश है। अभिभाषकगण अपीलांट्स व रेस्पो. सं. 2 उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स ने यह अपील सरपंच, ग्राम पंचायत बीरमाना, पंचायत समिति, सूरतगढ़ के द्वारा चक 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में नामान्तरकरण सं. 213 स्वीकृति आदेश दिनांक 05.05.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी, जिसके द्वारा अपीलांट्स, जो कि मृतक इन्द्रोबाई पत्नी अमरसिंह के वारिसान हैं, को छिपाकर रेस्पो. सं. 3–4 के द्वारा अपने आपको वारिस होने का कथन करके व मिलीभगत कर गलत, एकतरफा इन्तकाल करवाया गया है, को निरस्त करवाने के लिए अपील पेश की गई। अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स व रेस्पो. सं. 2 की माता स्व. इन्द्रोबाई पत्नी अमरसिंह रायसिख साकिन 3 जी.डी. घड़साना के नाम से चक 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 8 के पत्थर नं. 55/11 में 3.101 है0 खातेदारी भूमि दर्ज कागजात राज थी। इन्द्रोबाई का देहान्त दिनांक 24.02.2009 को हो गया, उनके अपीलांट्स व रेस्पो. सं. 2 जायज वारिसान हैं, किन्तु रेस्पो. सं. 2 से 4 ने आपस में मिलीभगत कर रेस्पो. सं. 3 ने अपने आपको मृतक इन्द्रोबाई का पुत्र व रेस्पो. सं. 4 ने पुत्री होने का गलत वारिस प्रमाण–पत्र जारी करवाकर उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरकरण सं. 213 दिनांक 05.05.2012 को स्वीकृत करवा लिया, जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली। रेस्पो. सं. 4, रेस्पो. सं. 2 की पत्नी है। अपीलांट सं. 2 औरतजात है व अपीलांट सं. 1 दूर रहता है। अपीलांट सं. 1 को भूमि आगे गलत तौर पर बेचने का पता चला तो उसने कुछ रिकॉर्ड प्राप्त कर पुलिस थाना सूरतगढ़ में फौजदारी मुकदमा सं. 186 दिनांक 14.05.2013 को दर्ज करवाया दिया। इसी दौरान छानबीन करने पर जैरअपील नामान्तरकरण की जानकारी होने पर दिनांक 27.05.2013 को नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम पंचायत ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट्स को कोई सूचना नहीं दी व ना ही सुनवाई के लिए कोई अवसर प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत की वास्तव में कोई बैठक हुई ही नहीं, ना ही प्रस्ताव पास किया गया व ना ही कोई जांच कमेटी गठित की एवं ना ही आपत्ति पेश करने बाबत कोई सूचना प्रकाशित करवाई गई। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाये मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट सं. 1 को भूमि आगे बेचान की जानकारी होने पर फौजदारी कार्यवाही करने के बाद उसे वापस मोहनगढ़ जाना पड़ गया। बाद में वापस आकर

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वकील से मिला तो कानूनी जानकारी मिली कि नामान्तरकरण की अपील करना जरूरी है, इसलिए रूपये–पैसों का इन्तजाम कर अपील पेश कर दी। अपीलांट्स ने अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर देरी नहीं की, बल्कि जानकारी प्राप्त होने पर बिना देरी किये अपील प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई। अपील के साथ अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, अपीलाधीन भूमि में से अपीलांट्स के हिस्सा की भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट्स के नाम से दर्ज करने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर रेस्पो. सं. 1, 3 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पो. सं. 2 की ओर से अभिभाषकगण श्री सोम प्रकाश शर्मा व श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तलब किया गया व रिकॉर्ड प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पो. सं. 2 की माता इन्द्रोबाई पत्नी अमरसिंह रायसिख साकिन 3 जी.डी. घड़साना के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 8 के पत्थर नं. 55/11 में 3.101 है0 अनकमाण्ड भूमि का इन्द्रोबाई के स्वर्गवास उपरान्त रेस्पो सं. 2 से 4 ने मिलीभगत कर रेस्पो. सं. 3 ने अपने आपको स्व. इन्द्रोबाई का पुत्र व रेस्पो. 4 मिन्दोबाई, जो रेस्पो. सं. 2 की पत्नी है, ने अपना नाम अंजो बाई पुत्री इन्द्रोबाई बताकर दिनांक 16.02.2012 को सरपंच, ग्राम पंचायत पन्नीवाली पंचायत समिति टिब्बी से स्व. इन्द्रोबाई का वारिस प्रमाण–पत्र जारी करवा कर, इसके आधार पर उक्त भूमि का सरपंच, ग्राम पंचायत बीरमाना से विरासतन नामान्तरकरण सं. 213 दिनांक 05.05.2012 स्वीकृत करवा लिया, जबकि उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरकरण स्व. इन्द्रोबाई के जायज वारिसान अपीलांट्स भाई–बहिन व रेस्पो. सं. 2 भाई के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जाना चाहिए था। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्स के हित प्रभावित हुए हैं। सरपंच, ग्राम पंचायत बीरमाना ने अपीलांट्स को बिना सूचना दिये, बिना जांच कमेटी गठित किये, बिना जांच किये व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए, मनमाने तौर पर गलत व विधिविरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट्स ने इसी न्यायालय के द्वारा वाद सं. 223/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2014 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स ने अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त, अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष रेस्पो. सं. 2 से 4 के विरुद्ध घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर, अपील में ही अंकित तथ्यों का अंकन करते हुए अपीलाधीन भूमि में स्वयं को 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2014 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर अपीलांट्स को अपीलाधीन भूमि यानि वाद में अंकित भूमि में 2/3 हिस्सा का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सरपंच, ग्राम पंचायत बीरमाना, पंचायत समिति, सूरतगढ़ के द्वारा दिनांक 05.05.2012 को चक 2 जी.बी.एम. के रिकॉर्ड में स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 213 निरस्त कर, अपीलाधीन भूमि में से अपीलांट्स के हिस्सा की भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट्स के नाम से दर्ज करने का आदेश दिये जाने की प्रार्थना की। अभिभाषक रेस्पो. सं. 2 की ओर से बहस शून्य रही एवं ना ही बहस हेतु समय चाहा गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील के संलग्न सरपंच, ग्राम पंचायत, पन्नीवाला पंचायत समिति टिब्बी द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र इन्द्रोबाई, जमाबन्दी चक 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ सम्वत् 2067 से 2070 खाता सं. 8, नामान्तरकरण सं. 213 चक 2 [illegible] स्वीकृत दिनांक 05.05.2012 एवं बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत इसी न्यायालय द्वारा इन्हीं पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत वाद सं. 223/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2014 के अवलोकन से अपील अपीलांट पूर्णतया सिद्ध है। अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:11 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

रेस्पो. सं. 2 की ओर से भी अपील में अंकित तथ्यों का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। अपीलांट्स को इसी अदालत के द्वारा उक्त निर्णित किये गये वाद–पत्र में वारिस मानते हुए 2/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का हिस्सेदार घोषित किया जा चुका है। जिससे पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के हित आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद इन्हें पक्षकार नहीं बनाये गये हैं जो कि मृतका के वारिस होने से अपील अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से करने के अधिकारी होने से लेकर आये हैं। रेस्पो. सं. 2 के द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का ना तो जवाब पेश किया गया है और ना ही शपथ–पत्र पेश किया गया है। रेस्पो. सं. 1, 3 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। रिकॉर्ड के अवलोकन से अपीलांट द्वारा अपील में अंकित कथनों से अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स, जो कि मृतका इन्द्रोबाई के जायज वारिस हैं, जिनको छिपाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है जो कि गलत, विधि व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये जाने के कारण इसे निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सरपंच, ग्राम पंचायत बीरमाना के द्वारा चक 2 जी.बी.एम. के राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नामान्तरण सं. 213 दिनांक 05.05.2012 को निरस्त किया जाना न्यायहित में हम उचित समझते हैं।

अत: उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चक 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नामान्तरण सं. 213 दिनांक 05.05.2012 निरस्त किया जाता है। आदेश की पालना में तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के नाम से अलग से एक प्रति जारी कर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक ...21.03.2026... को निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक : राजस्व/अपील/203/2013/25.3.26/1748 दिनांक : 25.03.2026

तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

विषय :प्रकरण सं. 203/2013 हन्सासिंह वगैरह बनाम ग्राम पंचायत बीरमाना व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 25.03.2026 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान की अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चक 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नामान्तरण सं. 213 दिनांक [illegible] 2012 निरस्त किया जाता है। आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़